महत्वपूर्ण एवं खास

चक्रधर समारोह में कथक, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, भरतनाट्यम, शास्त्रीय गायन एवं लोकरंग की प्रस्तुति आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। 35 वां चक्रधर समारोह के आठवें दिन 9 सितम्बर को बिलासपुर के तनुचौहान द्वारा कथक, रायगढ़ के आशा चंद्रा द्वारा छत्तीसगढ़ी लोकगीत, कर्नाटक के बाला विश्वनाथ द्वारा भरतनाट्यम, वाराणसी के राहुल रोहित मिश्रा द्वारा शास्त्रीय गायन एवं दुर्ग के सुनील सोनी लोकरंग की प्रस्तुति देंगे।

मोटर सायकल पर प्रतिबंधित कप सिरप का अवैध परिवहन करते पकड़ाये

» आरोपी से 47 नग कप सिरप जप्त, बरमकेला पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। बरमकेला थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना बरमकेला में पदस्थ सउनि विजय गोपाल एवं हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर दोपहर में बरमकेला बस स्टैण्ड चंद्रपुर रोड किनारे मोटर सायकल Hf डिलक्स सोल्ड् काला बैगनी रंग के हेंडल में थैला टंगकर प्रतिबंधित सिरप ESKUF cough syrup को लेकर जाते हुये आरोपी भवानी शंकर डनसेना पिता भोलाराम डनसेना उम्र 26 वर्ष सा0 बोंदा थाना सरिया को पकड़े। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक उडीसा से बरमकेला रोड से बोंदा की ओर मोटर सायकल पर प्रतिबंधित सिरप लेकर आने वाला है, सूचना पर बरमकेला पुलिस द्वारा बस स्टैण्ड चंद्रपुर रोड में नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ा आरोपी से थैला में प्रतिबंधित सिरप ESKUF cough syrup 47 नग जुमला 4 ली0 700 एमएल कीमती 5752 रूपये व मोटर सायकल जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना बरमकेला में अप.क्र. 161/19 धारा 8(सी), 21 एडीपीसी एक्ट की कार्यवाही की जा रही है।

वोल्टेक इंजीनियरिंग से मॉल बिकवाने के नाम पर धोखाधड़ी

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल अन्तर्गत कालिंदी कुंज में रहने वाले सी0बी0 शर्मा पिता राममूर्ति शर्मा का इलेक्ट्रीकल फर्म वोल्टेक इंजीनियरिंग कम्पनी कबीर चौक में स्थित है। दिनांक 27/05/2019 के शाम असीम मुखर्जी निवासी भुनेश्वर सुभ्रा निलय प्लाट नं. 567/2546 कनक बिहार फेस 2 पटीया जिला खुर्दा भूनेश्वर ओड़ीसा के द्वारा सीबी शर्मा को फोन व मेल से संपर्क कर रायगढ आया और सीबी शर्मा के यहां बनने वाले इलेक्ट्रीकल पैनल को विभिन्न उघोगो व संस्थानो में कमिशन लेकर बिकवा देने की बात कहकर एक कम्पनी का ऑर्डर 27 लाख 80 हजार रूपये का दिया और इसके एवज में बतौर कमीशन 5 लाख रूपये से असीम मुखर्जी द्वारा अपने एकाउंट में 1 लाख 30 हजार रूपये टांसफर करवा लिया। पर्चेज आर्डर को देखते हुये सीबी शर्मा द्वारा अपने फर्म बोल्टेक इंजीनियरिंग से कंटोल पैनल आर्डर पुरा कराने के लिये काम भी शुरू कर दिया जिसमें इनका लगभग 15 लाख रूपये जाम हो गये और इस आर्डर को पूरा करने के लिए अन्य दुसरे आर्डर भी नही ले सका। जब कुछ आंशका हुई तो सीबी शर्मा ने असीम मुखर्जी के बताये कम्पनी में अपने बेटे को भेजा परन्तु वहां उस नाम की कोई कम्पनी नहीं मिली। धोखाधड़ी के लिखित आवेदन पर चौकी जुटमिल थाना कोतवाली में आरोपी असीम मुखर्जी के विरूद्ध अप.क्र. 722/19 धारा 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

बालिका लापता, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड़ में 17 वर्षीय बालिका के लापता होने की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराया गया है। बालिका के पिता ने बताया कि बालिका अपने नाना के घर रहकर पढाई कर रही थी। दिनांक 05.09.2019 को करीबन 12.00 दिन दिशा-मैदान के लिये जा रही हूं कहकर घर से निकली है और वापस नहीं आयी। बालिका को आस पास तथा अपने रिश्तेदारी में पता तलाश किया कोई पता नहीं चला है। बालिका के गुम रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 253/19 धारा 363 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

हत्या को दुर्घटना बता कर पुलिस ने खात्मा किया केस का

दैनिक न्याय साक्षी समाचार पत्र रायगढ़ से संदीप नानकानी की रिपोर्ट

न्याय साक्षी/रायगढ़। यकायक अपने युवा पुत्र की मौत के संबंध में जानकारी मिलने पर राजेश उरांव का पूरा परिवार सदमे में था और परेशान था। अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर राजेश के पिता तिलकराम उरांव, बड़े पिता लच्छी राम उरांव, भाई शंकर लाल उरांव ओर झनक राम उरांव अस्पताल पहुचे, जहाँ पूछे जाने पर राजेश के शव को मरच्यूरी रूम में होना बताया तथा कहा गया कि अभी नही देख सकते, सुबह आइये। दिनॉंक 20/01/2019 को सुबह 8.30 बजे जाकर देखे तब उमाशंकर विशाल(एसई) करीब 11.00 बजे शव का पंचनामा कराया तथा निरीक्षण किया ततपश्चात पोस्टमॉर्टम कराया गया। फिर 2.00 बजे राजेश का शव परिवार को सौंपा गया। इस समय तक राजेश का परिवार समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था अचानक कैसे क्या हो गया।

परिवार ने कहा कि इसमें पुलिस कोई सुनवाई नही कर रही है जिससे हमारा परिवार सदमे में है और दहशत में जी रहे है। श्याम लाल एवं टीकाराम पटेल राजनैतिक रूप से सक्षम है और धनाड्य लोग हैं, रसूखदार हैं, जिनके द्वारा पुलिस को मैनेज कर इस प्रकरण का खात्मा करा लिया गया।

इस संबंध में राजेश की माता तीजमति उरांव द्वारा सामाजिक न्याय संघ में श्याम लाल पटेल, टीकाराम पटेल, केशवप्रसाद पटेल, देवेंद्रपटेल, हरिमोहन पटेल, लेखराम उरांव, कार्तिकराम उरांव, नंदराम उरांव एवं प्रेमचंद यादव पर शक के बिनाह पर आवेदन प्रस्तुत किया कि, इन्होंने राजेश कुमार उरांव की हत्या कर साक्ष्य को छुपाया और पुलिस को भी गुमराह किया है।

राजेश की माता तीजमति ने कहा कि मेरा पुत्र, श्यामलाल पटेल की आयशर ट्रेक्टर को चलता था, किन्तु श्यामलाल द्वारा महिंद्रा ट्रैक्टर गाड़ी नंबर सी0जी0 13 एबी 5573 को जप्ती बनवाया है, जिसका मालिक प्रशांत कुमार नायक पिता महेंद्र कुमार नायक निवासी गोटियापारा, कुसमरा रायगढ़ है। जिसके कागजात थाने में जमा कराए है जो कि पूर्ण तरह फ़र्ज़ी है, हमें पूरी शंका है कि मेरे पुत्र की हत्या कर साक्ष्य को छुपाया जा रहा है, और पुलिस भी इसमें मदद कर रही है।

तीजमति (मृतक की माँ)

और भी हैं साक्ष्य

पुलिस की लापरवाही के सम्बंध में बहुत से साक्ष्य सामाजिक न्याय संघ के समक्ष हैं, जिनपर एक-एक कर उच्चाधिकारियों का ध्यानाकर्षण किया गया है। न्यायसाक्षी को लगता है कि जिस प्रकरण पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग ने संज्ञान ले लिया उस पर रायगढ़ पुलिस के अधिकारी अभी-भी अंजान हैं, अथवा अनजान बने हुए हैं, क्यो? यही तो वह यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब सामान्यतः यही दिया जाता है कि पुलिस कानून गरीब के नहीं हैं साहब? बहरहाल शेष अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले अंक का.....

क्या है मामला?

यह मामला है ग्राम कोनपली जिला रायगढ़ का, जहाँ राजेश कुमार उरांव 28 पिछले 3 वर्षों से अपने ही ग्राम में श्याम लाल पटेल पुत्र केशव प्रसाद पटेल के यहां पैरा काटने ट्रेक्टर चलाने एवं जुताई का कार्य करता था। राजेश कुमार के साथ अन्य लोग भी कार्यरत थे, जिनमें कार्तिक राम उरांव एवं प्रेमचंद उरांव भी थें। राजेश कुमार एक दक्ष ट्रेक्टर चालक था, जो कि विगत 4/01/2019 को श्याम लाल के आदेश पर अपने साथियों के साथ तमनार क्षेत्र में पैरा काटने गया था। दिनॉंक 19/01/2019 को राजेश कुमार ने अपनी माता तीजमति उरांव को फ़ोन कर बताया कि वो घर आ रहा है, लेकिन वो घर नहीं पहॅुचा, रात्रि 10 बजे राजेश को फ़ोन लगाया गया तो उसका नम्बर कवरेज से बाहर बता रहा था। तब घर मे ज़्यादा इंतज़ार न कर के तीजमति ने उसके लिए खाना निकाल कर रख दिया और सो गई। रात्रि लगभग 1 बजे राजेश के बड़े पिता जी लच्छीराम उरांव के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पूछा गया कि क्या आप राजेश कुमार उरांव को जानते है? जिसपर हॉं कहने पर उसने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है और आप रायगढ़ के मुख्य अस्पताल आ कर देख ले।

मालिक ने क्यो नहीं दी सूचना?

विदित हो इस घटना की सूचना राजेश के मालिक श्याम लाल पटेल एवं टीकाराम पटेल द्वारा पीड़ित परिवार को नहीं दी गई, ना ही परिवार से कोई संपर्क किया गया। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर दोनों तालमटोल करने लगे एवं साक्ष्य को छुपाया जाने लगा, इसी बीच टीकाराम पटेल द्वारा कहा गया जो करना है कर लो और धमकाता रहा।

युवा पुत्र के अचानक देहावसान से चल बसे पिता

इसी बीच राजेश के पिता तिलक राम उरांव का दिनांक 22/01/2019 को हृदयाघात से निधन हो गया, इसके बावजूद श्यामलाल एवं टीकाराम द्वारा परिवार वालों को लगातार डराया और धमकाया गया। पुलिस को इस सम्बंध में बताए जाने पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जो कि पुलिस के लापरवाह रवैये को जाहिर करने के लिए सक्षम साक्ष्य है।

अपचारी बालक ने स्वीकार किया दोस्तों के साथ वृद्ध के घर चोरी करना

» चोरी की मशरूका बरामद, धरमजयगढ़ पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। धरमजयगढ़ में रायगढ रोड पतरापारा में रहने वाले श्याम किशोर मुखर्जी उम्र 55 साल द्वारा अपने मकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि अपने घर पर अकेले रहता है, रीढ की हड्डी में दर्द होने के कारण अधिक चल फिर नहीं सकता, जिसके ईलाज के लिए अपने मकान में ताला बंद कर दिनांक 27.07.2019 को पेड्रारोड चला गया था। दिनांक 04.09.2019 को करीब रात्रि 9.30 बजे अपने मकान पर आया तो देखा कि पीछे दरवजा को तोड कर अन्दर घुस कर अज्ञात चोर अलमारी एवं दीवान पलंग में रखे बर्तन, कूकर एक छोटा, एक बडा पुराना, एक टी.वी. एल.ई.डी. मैकरोमेक्स, कपड़े आदि जुमला करीबन 24,000 रूपये का पीछे दरवाजा से चोरी कर ले गया है। चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 152/19 धारा 457, 380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

मामले की पतासाजी दौरान धरमजयगढ़ स्टाफ को जानकारी मिली कि कुछ दिनों पूर्व कुछ संदिग्ध बालकों को रिपोर्टकर्ता श्याम किशोर मुखर्जी के घर आसपास घूमते हुये देखा गया था, जिस पर स्टाफ द्वारा उन बालकों के हुलिया, निवास के आधार पर पतासाजी किया गया। इस दौरान एक बालक पुलिस के हाथ आया जिससे पूछताछ करने पर अपने 02 अन्य साथियों के साथ चोरी करना स्वीकार किया है। अपचारी बालक की निशांदेही पर चोरी की सम्पत्ति बरामद कर अपचारी बालक को बाल सुधार गृह रायगढ़ भेजा गया है। अन्य दो अपचारी बालकों की पतासाजी की जा रही है।

मृतक राजेश उरांव के हत्या की जांच करने प्रशासनिक जांच दल पहुंचा केनापाली

» दैनिक न्याय साक्षी समाचार पत्र रायगढ़ से नितिन सिन्हा की रिपोर्ट

न्याय साक्षी/रायगढ़। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सामाजिक न्याय संघ के द्वारा पीड़ित हेतु प्रदत्त आवेदन के सापेक्ष में की गई मांग पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातिय आयोग के द्वारा कलेक्टर रायगढ़ को जॉंच करने और रिपोर्ट दिए जाने बाबत् निर्देश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत कार्यवाही करेगा।

जिसपर एक प्रशासनिक जांच दल मृतक राजेश उरांव की कथित हत्या के आरोप की जांच करने ग्राम केनापाली, तहसील रायगढ़ पहुँचा। गौरतलब हो मृत युवक की उम्र महज 26 साल थी, मृतक की माता तीजमति देवी ने जूटमिल चौकी पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर समाजिक न्याय संघ के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ ही अन्य उच्चाधिकारियों से जॉंच कर न्याय की मांग की थी। पूरे छत्तीसगढ़ में बेबस लाचार एवं असहाय को मदद करने वाली संस्था सामाजिक न्याय संघ ने वृद्धा माता तीजमति देवी के प्रकरण पर समस्त दस्तावेजों के साथ उनका पक्ष उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा, जिसपर अब जाकर जॉंच शुरू हुर्द है।

मृत युवक के परिजनों का कहना है कि घटना से जुड़ा दूसरा पक्ष श्याम लाल पटेल क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका अपना राजनीतिक रसूख है। जिसकी वजह से थाना जूट-मिल चौकी ने गरीब युवक की हत्या के मामले में संदिग्ध जांच रिपोर्ट पेश कर मामले को उलझाने का प्रयास किया था। वैसे भरी पुलिस से किसी मामले में न्याय की उम्मीद किया जाना अब कठिन हो चुका है, अतः उन्हें उच्च-स्तरीय शिकायत करने की आवश्यकता पड़ी।

वही जांच टीम के द्वारा ग्राम चौकीदार जीवन लाल चौहान के माध्यम से आरोपी पक्ष श्याम लाल पटेल एवं अन्य जो शामिल प्रतीत होते हैं, को कई बार जांच स्थल पर बुलवाया गया परन्तु वे सब उपस्थित नही हुए। इसके बाद जांच टीम ने सम्बधित लोगो को दो दिन बाद आवश्यक रूप से उपस्थिति हेतु कहा है, ताकि जांच रिपोर्ट को तय सीमा में पूर्ण कर माननीय आयोग को भेजा जा सके। राजेश के परिजनों को पूरी उम्मीद है कि मामले में न्यायोचित जॉंच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।

जमानत पर रिहा गांजा तस्करों की तस्करी नाकाम

» इनोवा कार में लोड 3.60 लाख रूपये का 60 किलो गांजा व घटना में प्रयोग कार व मोटर सायकल जप्त

» 05 आरोपी गिरफ्तार, एक माह के भीतर सरिया पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी

न्याय साक्षी/रायगढ़। सीमावर्ती ओडिसा राज्य से रायगढ़ जिले में अवैध शराब एवं गांजा लाये जाने की शिकायतें मिलती रही है जिस पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा पूर्व में ही थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। तस्करों द्वारा सरिया-बरमकेला मार्ग का उपयोग ज्यादातर किया जाता है जिसे देखते हुये सरिया थाना प्रभारी पूरे क्षेत्र में अपने विश्वसनीय मुखबिर सक्रिय किये हुये है, बीते रात सरिया प्रभारी को उनके विश्वसनीय मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक युवक मोटर सायकल में पायलेटिंग करते हुए गांजा से भरी इनोवा कार को विक्रमपाली ओडिसा रास्ते से पार कर सकता है। सूचना पर थाना प्रभारी आशीष वासनिक व स्टाफ द्वारा आज दिनांक 08.09.19 को भोर से उडिसा बरमकेला मुख्य मार्ग तथा अन्य मार्गों पर नाकेबंदी किया गया। सुबह करीब 09:15 बजे एक लाल कलर की हिरो सुपर स्पेल्डर क्रमांक ओडी 17-ई-3487 में एक युवक एक इनोवा कार क्रमांक सीजी 12-आर-6337 की पायलेटिंग करता हुआ आ रहा था जिसे ग्राम विक्रमपाली उडिसा बरमकेला मुख्य मार्ग पर स्टाफ ने रोका। कार में चार लोग सवार थे। स्टाफ द्वारा कार की विधिवत तलाशी लिये जाने पर कार में 60 पैकेट (प्रत्येक पैकेट में एक-एक किलो) 60 किलो गांजा किमत तीन लाख साठ हजार रूपये का मिला। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली की दो आरोपियों को पूर्व में भी गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर चालान किया गया हे जो जमानत पर हैं। अवैध गांजा तस्करी के संबंध में थाना सरिया में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 129/19 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।

आरोपियों का विवरण

1. ललीत पिता सखराम निषाद उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कोर्रा थाना सरिया जिला रायगढ (यह आरोपी तीन वर्ष पूर्व थाना सरिया में 10 किलो सहित गिरफ्तार हुआ था जिसमें इसे 6 वर्ष का कारावास हुआ है वर्तमान में जमानत पर है) 2. कन्हैया पिता संतराम यादव उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम गोढी थाना बालको जिला कोरबा

3. नंद कुमार पिता राम प्रसाद चंद्रा उम्र 44 वर्ष निवासी मोती सागर जिला कोरबा (यह आरोपी 2014 में थाना सीपत जिला बिलासपुर में 100 किलो गांजा सहित गिरफ्तार हुआ था ? जिसमें इसे 10 वर्ष का कारावास हुआ है वर्तमान मे जमानत पर है)

4. संदीप पिता यतीश चंद्रा उम्र 26 वर्ष निवासी बोडतारा थाना जैजेपुर जिला जांजगीर

5. पायलेट हरि प्रसाद पिता जय लाल बारिक उम्र 27 वर्ष निवासी सुरसी थाना सरिया।

35 वां चक्रधर समारोहः देश के मशहूर कवियों ने किया कविता पाठ

» भूपेन्द्र बरेठ एवं बासंती वैष्णव की टीम के नृत्य ने किया सम्मोहित

न्याय साक्षी/रायगढ़। चक्रधर समारोह के छठे दिन देशभर से आये जाने माने प्रख्यात कवियों ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा वाणिज्यिक कर मंत्री जयसिंह ने किया। भिलाई से आये श्रृंगार रस के कवि किशोर तिवारी ने हाथ जोड़े आये हैं पावन तेरे धाम, सरस्वती माते प्रणाम से कविता पाठ शुरू किया। इसके बाद उन्होंने जीवन है अनमोल हृदय के पटल खोल, प्यार ऊंचा है पर्वत की ऊंचाई से और सूर लिख कर गए हैं भक्ति के छंद आंख वाले क्या लिखेंगे, रचनाएं प्रस्तुत कीं। रायगढ़ के नंद लाल त्रिपाठी ने गर आईना ना होता तो खुद को ना पहचान पाते, जनम जनम का प्यासा हूं क्या प्यासा ही रह जाऊंगा गीत सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि रामगोपाल शुक्ल ने काव्यपाठ कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। राजस्थान से आये कवि पार्थ नवीन ने हास्य को पैरोडी के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाया। उन्होंने तंबाकू से होने वाले नुकसान को पर्दा है पर्दा गीत की तर्ज पर जर्दा है जर्दा सुनाकर खूब तालियां बटोरीं। कवि शम्भू शिखर ने विपरीत हवा कर ले चाहे जितनी भी निंदाए उडऩा कहां कब भूलता है कोई परिंदा और इसरो के चन्द्रयान 2 पर संपर्क टूटा है, संकल्प जिंदा है कविताएं सुनाईं। उत्तर प्रदेश से आये वीर रस के कवि अर्जुन सिसोदिया ने वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई मरोड़कर लौटा है सुनाकर दर्शकों को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। विख्यात व्यंग्यकार सम्पत सरल ने देश एवं समाज की समस्याओं को व्यंग्य के माध्यम से बखूबी रखा।

रायगढ़ कथक घराना भूपेन्द्र बरेठ एवं उसकी टीम ने कथक की मोहक प्रस्तुति दी। उन्होंने शिव वंदना महादेव शिव हर-हर, ताल चौताल, महाराजा चक्रधर द्वारा रचित बंदिशे उपोध्यात, पुरंदर, नागरंग, दावानल, दलबादल, राधाकृष्ण नृत्य, बादल बिजली, पक्षी परन, तराना-ताल तीन ताल में निबद्ध की प्रस्तुति दी। श्रीमती बासंती वैष्णव एवं उनकी टीम ने शिव स्तुति से नृत्य का प्रारंभ कर महाराजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित शिव तांडव, उपोदघात, मधुकरी, अतीत अनाघात परन, बिजली परन, कृष्ण लास्य त्रोटकम, अष्टनायिका पर आधारित ठुमरी भाव की अनोखी प्रस्तुति दी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480